न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूलचंद, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 2018/00249(128/2018) 225 आर.टी.ए.

1. जसवन्त कौर (पुत्री चनण सिंह) पत्नी श्री अवतार सिंह बउम्र 70 वर्ष जाति सैनी सिख निवासी चण्डीगढ़ हॉस्पीटल के पास, पतंजलि चिकित्सालय के सामने, वार्ड नं0 14, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. गुरनाम कौर (पुत्री चनण सिंह) पत्नी श्री हरचन्द सिंह बउम्र 75 वर्ष जाति सैनी सिख निवासी मकान नं0 250, सुरेशवाला सैनिया, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. दर्शन कौर (फौत)।

3/1. हरबसं सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति सैनीसिख निवासी भारत नगर गली न0. 2, गिदड़बाहा तहसील व जिला श्री मुक्तसर।

3/2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरंबस सिंह जाति सैनीसिख निवासी भारत नगर गली न0. 2, गिदड़बाहा तहसील व जिला श्री मुक्तसर।

3/3. नरेन्द्रपाल पुत्र श्री हरबंस सिंह जाति सैनीसिख निवासी बालबाड़भ स्कुल वाली गली, गिदड़बाहा तहसील व जिला श्री मुक्तसर।

3/4. जसविन्द्र कौर पत्नि अमरीक सिंह पुत्री श्री हरबंस सिंह जाति सैनी निवासी एस0एस0बी0 रोड़, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. कैलाश कौर (पुत्री चनण सिंह) पत्नी श्री महेन्द्र सिंह बउम्र 66 वर्ष जाति सैनी सिख (प्रवासी भारतीय) वर्तमान आबाद House No. 15, Street No. 136, Ave 87th, Richmond Hill, New York State वर्तमान अस्थायी प्रवासी हाउस नं0 345, गली नं0 7, खेड़ा रोड़, प्रेमनगर, फगवाड़ा तहसील फगवाड़ा जिला कपूरथला (पंजाब)। जरिये मुखत्यारआम जसवन्त कौर पत्नी अवतारसिह जाति सैनी सिख निवासी चण्डीगढ हॉस्पिटल पतंजलि चिकित्सालय के सामने वार्ड नं. 14 हनुमानगढ जंक्शन व जिला हनुमानगढ ——

अपीलान्ट

बनाम

बलविन्द्र कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति सैनी सिख निवासी तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)। —— रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी दिनांक 27.04.2018.

उपस्थितिः—

1. श्री राजेशदीप राय, अभिभाषक अपीलार्थी संख्या 1 व 4।
2. श्री राजीव कुलश्रेष्ठ, अभिभाषक, अपीलार्थी संख्या 2, 3/1 से 3/4।
3. श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांकः— 03.05.2019

1. अपीलार्थी ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपील से सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र दलविन्द्र सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि चक 1 टी.एल.डब्लयू.बी. के खाता 35 सम्वत् 2068—71 में कुल 3.181 हैक्टेयर में से 2.670 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है व अपीलांट का नाम कलमजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.02.2017 को एकपक्षीय डिक्री पारित की। जिसके विरूद्व अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तथा दिनांक 03.11.2017 को अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.02.2017 को अपास्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि उभयपक्षों को जवाब साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर विधिवत् रूप से पुनः निर्णय प्रसारित करें। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.11.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय करने के सम्बन्ध में स्थगन चाहा। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 24.04.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि प्रश्नगत भूमि में रेस्पोडेन्ट के कब्जाकाश्त में अपीलांट हस्ताक्षेप नही करें व जबरन बेदखल नही करें। अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किए कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अभिकथित वसीयत दिनांक 19.04.1993 चनण सिंह द्वारा निष्पादित नहीं है चनण सिंह की मृत्यु के पश्चात मनी सिह ने चनण सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाया। मनी सिंह व सुमित्रा देवी ने उक्त वसीयत दिनांक 19.04.1993 को कभी प्रकट नहीं किया तथा न ही कभी अभिकथित वसीयत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को लागू करवाया। वस्तुतः यदि कोई ऐसी वसीयत चनण सिंह द्वारा उसकी इच्छानुसार निष्पादित की होती तो मनी सिंह व सुमित्रा अभिकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाते। मनी सिंह की मृत्यु के पश्चात बलवन्त सिंह ने भी अभिकथित वसीयत को अपने जीवनकाल में प्रकट नहीं किया जिससे बखूबी साबित है कि चनण सिंह निर्वसीयत फौत हुआ था। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो अपीलान्ट के दादा श्याम सिंह ने श्रीकरणपुर के चक 2 एक्स की 25 बीघा भूमि की आय से खरीद की है। मनी सिंह व सुमित्रा देवी ने चनण सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल को सदैव स्वीकार व अंगीकार किया है। मनी सिंह की मृत्यु के पश्चात सुरेन्द्र सिंह आदि ने एक राजस्व वाद संख्या 174/2011 बअनवानी "सुरेन्द्र सिंह बनाम इकबाल सिंह आदि" बाबत घोषणा एवं विभाजन का प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट की सास सुमित्रा व पति बलवन्त सिंह पक्षकार थे। उक्त वाद पत्र दिनांक 11.04.2011 को डिक्री हुआ तथा चनण सिंह के हक व हिस्सा की भूमि हरदीप सिंह पुत्र सुरजन सिंह व अपीलान्ट तथा बलवन्त सिंह, कुलदीप कौर व सुमित्रा के पक्ष में डिक्री पारित हुई तथा उक्त डिक्री मुताबिक राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई तथा अपीलान्ट के नाम मुताबिक डिक्री 2.670 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज हुई। यदि वास्तव में ऐसी कोई वसीयत होती तो सुमित्रा कौर अथवा उसके पुत्र बलवन्त द्वारा प्रस्तुत की जाती। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट ने भी एक राजस्व वाद संख्या 328/2014 बअनवानी "बलविन्द्र कौर बनाम दलविन्द्र सिंह आदि" सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, ठिब्बी के समक्ष बाबत घोषणा प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र में भी वसीयत को प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व में हुए विरासतन की डिक्री व इन्तकाल को स्वीकार किया गया। डिक्री दिनांक 11.04.2011 अन्तिम हो चुकी है। रेस्पोडेन्टके पक्ष में भी दिनांक 28.04.2014 को डिक्री पारित हो चुकी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.04.2018 को स्थगन जारी किया है, जिसके विरूद्व अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत की है।

2. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो गया था। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र को कन्सीडर करना चाहिए था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस व रेस्पोडैन्ट के शपथ पत्र अस्थाई निषेंधाज्ञा जारी की जो कतई गलत है। इससे अब रेस्पोडेन्ट अपने द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद पत्र के विरूद्व नये कथन करने से विबन्धित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद का आधार अभिकथित वसीयत दिनांक 19.04.1993 होना प्रकट किया है जबकि उक्त वसीयत को निरस्त करने का वाद पत्र अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट रिकॉर्डड खातेदार है। कानूनन रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी नहीं किया जा सकतां। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टय मामला सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नही किया गया। इस प्रश्नगत जमीन के सम्बन्ध में धारा 212 आर0टी0ए0 का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था। अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व में पारित निर्णय एंव डिक्री के तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2014(1) पेज 523, आर0आर0डी0 2016 पेज 57, सी0सी0सी0 2017 (2) पेज 208, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 123, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1144, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 265, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 633, डी0एन0जे0 2013 रेवन्यू पेज 18 प्रस्तुत किये।

4. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा बहस हेतु मौका चाहने पर अधिनस्थ न्यायालय ने स्थगन जारी किया है जो विधिसम्मत है तथा रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है तथा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रहन, बैय की हद तक था तथा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र कब्जे की हद तक प्रस्तुत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ए0आई0आर 1988 राजस्थान पेज 61, आर0आर0डी0 2016 पेज 580, आर0आर0डी0 1995 पेज 399, आर0आर0डी0 पेज 379, आर0आर0डी0 2009 पेज 680, आर0आर0डी0 2001 पेज 28, डी0एन0जे0 2019 रेवन्यू पेज 18 प्रस्तुत किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। मूल राजस्व वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद परिवार के सदस्यों के मध्य है, पूर्व में एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र रहन, बैय व मुन्तकिल नही करने बाबत रेस्पोडेन्ट ने पेश किया हुआ है, बाद में उक्त प्रार्थना पत्र कब्जे के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। वकील अपीलांट का निवेदन है कि पूर्व में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र के चलते दूसरा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत नही करना चाहिए था। हालांकि इस तरह की बाध्यता नही है कि एक ही प्रकरण में दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किये जा सकते साथ ही उनका यह भी कहना है कि दोनों प्रार्थना–पत्रों को एक साथ गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। परिस्थितियों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के अनुसार अन्य प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु प्रार्थना पत्र का निस्तारण शीघ्र ही गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए था। उक्त प्रकरण में वकील अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा बहस हेतु समय मांगे जाने पर एकपक्षीय बहस सुनकर आदेश पारित किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पत्रावली पर पेश हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनकर जो आदेश पारित किया गया उसमें अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को समायोजित नही किया गया। जो उचित प्रतीत नहीं होते है चूंकि अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो चुका है तो सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित होगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.04.2018 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचना अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण संख्या 27/2018, बअनवानी बलविन्द्र कौर बनाम गुरनाम कौर आदि में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 को अपास्त करते हुए उक्त पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह दोनो स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण दोनो पक्षों को सुनकर प्रकरण के सभी तथ्यों को सुनकर व प्रकरण के सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर 45 माह (दिन) में उक्त पत्रावली का निस्तारण में करें तथा अपीलांट को निर्देश दिये जाते है कि वह स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न होने की सूरत में अधिनस्थ न्यायालय जवाब बन्द करने अथवा उचित कार्यवाही कर सकेगा व प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करे तब तब उभय पक्ष मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Corrected vide Dated 9-5-19

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

03/5/19

(मूलचंद)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official